

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.03.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4087 का उत्तर

रेलवे में एफडीआई

4087. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट रेलवे के क्षेत्र कौन से हैं और ऐसे क्षेत्रों में अब तक कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है;
- (ख) देश में रेलवे सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में रेलवे में एफडीआई किस हद तक सरकार की मदद करेगा;
- (ग) क्या सरकार को रेलवे में एफडीआई की अनुमति के खिलाफ विभिन्न रेलवे यूनियनों से अभ्यावेदन मिला है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उक्त अभ्यावेदन पर क्या कार्रवाई की गई है; और
- (ङ) रेलवे कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान और देश में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क): 22 अगस्त, 2014 तक रेलवे क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) केवल "व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली" तक ही सीमित था। बहरहाल, 22 अगस्त, 2014 से सरकार की मौजूदा एफडीआई नीति के तहत रेलवे अवसंरचना (स्वचालित मार्गों पर 100%) के निम्नलिखित कार्यों/क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अब आरंभ किया गया है/अनुमति दी गई है:-

“निम्न का निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण:-

- (i) पीपीपी के जरिए उपनगरीय गलियारा परियोजनाएं;
- (ii) उच्च गति गाड़ी परियोजनाएं;
- (iii) समर्पित माल यातायात लाइनें;
- (iv) ट्रेन सेटों और रेलइंजन/सवारीडिब्बों के विनिर्माण तथा अनुरक्षण सुविधाओं सहित चल स्टॉक;
- (v) रेल विद्युतीकरण;
- (vi) सिग्नलिंग प्रणाली;
- (vii) माल यातायात टर्मिनल
- (viii) यात्री टर्मिनल;
- (ix) विद्युतीकृत रेलवे लाइनों और मुख्य रेल लाइनों से संपर्कता सहित रेल लाइन/साइडिंगों से संबंधित औद्योगिक पार्क में अवसंरचनाएं; और
- (x) मास रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रणालियां”

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी) विभाग द्वारा समेकित आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 2019 तक रेलवे सेक्टर में प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 1071 मिलियन अमरीकी डॉलर है।

(ख): रेलवे अवसंरचना के आधुनिकीकरण संवर्धन हेतु एफडीआई सहित अतिरिक्त पूंजी निवेश से रेलवे संरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

(ग) से (ङ): प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में रेलवे यूनियनों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि रेलवे के वर्तमान कर्मचारियों के हितों को संरक्षित रखने के लिए अंतर्निहित संरक्षा उपाय मौजूद हैं।
